

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक

90 अ-82/वर्ष 2018-19 मौजा छिंदी /10205/ बैतूल दिनांक 20-08-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	छिंदी	17.096	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	छिंदी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	सुभाष वल्द हरिकृष्णा वल्द डबल सा देह	164/2	0.270	0.270
2	नान्हु बे.जियालाल पंखुडीया मुंननी जुरसो पि. जियालाल उत्रो बे. बिकट प्रभू छोटे प्रहलाद मुत्री व. बिकट सरस्वती मुनी पि. बिकट जाति रघुवंशी पता निवास गांम भूमि स्वामी	164/3	0.128	0.128
		171/2	0.420	0.198
		529/2	1.153	0.239
		171/1	0.421	0.199
	529/1	1.153	0.239	
3	मुन्नी बाई अंजनसिंह रघुवंशी	172/1	0.322	0.191
4	बत्ता बाई पिता अजनसिंह रघुवंशी सा.देह	172/2	0.322	0.191
5	रामकिशोर हरिकृष्णा पिता डबल सा.देह	165	0.543	0.543
		167	0.283	0.283
		174	0.806	0.425
		531	0.178	0.178
		534	0.275	0.275
6	सिट्टी रघु गुरुदयाल वल्द प्रेम अनिता अनरूपा पिता प्रेम उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह इमरत बेवा प्रेम कंचनिया पिता छोटे फुला कंचनिया पिता छोटे सा० देह	161	2.185	1.578

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अंश
1	2	3	4	5
7	गुलजार व. ज्ञानी सा0 देह	160/1	0.555	0.555
8	लालसिंह उर्फ उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह सा0 देह.	160/2	0.069	0.069
9	गुलजारसिंह व. ज्ञानीसिंह रघुवंशी सा0 देह	159	0.243	0.243
10	राजेन्द्रसिंह बिन्द्रेसिंह व. गलजारसिंह सा0 देह.	158	0.397	0.397
11	धनपाल मनु व.सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल बिल्लो बेवा सोमलाल सा0देह रामदयाल धनपाल मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे0 सोमलाल धनलाल बेवा भदू तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह	155	1.007	0.453
12	चरणलाल वल्द धनलाल सा.देह	156/1	0.603	0.130
13	सुखनन्दन व. उमकी सा0देह	156/2	0.461	0.154
14	सिट्टीसिंह रघुसिंह गुरुदयाल व. प्रेमसिंह इम्रत बेवा प्रेमसिंह अनिता अनरूपा पिता प्रेमसिंह सा0 देह.	162	0.514	0.514
15	कल्लू व. झब्लसा0देह.	166	0.405	0.405
		170	0.178	0.178
		532	0.372	0.372
16	रामसिंग व. माखनसिंह सा0देह	168	1.214	1.214
17	रतनिया बेवा हिकमत प्रेम व. छोटे फुला कचनिया पिता छोटे सा0देह	169	0.405	0.405
18	रामसिंह व. रघुबिर देवकन्या, राजकन्या, रंजना मंजु पिता रघुवीर कल्लू रामकिशोर हरि कण्ठा व. झब्लसिंह गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्ल बसन्ती बेवा झब्ल रघुवंशी सा0देह.	538	1.344	1.255
19	हरिकण्ठा व. झब्ल गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्ल बसन्ती बेवा झब्ल सा0देह सिट्टी रघु गुरुदयाल व. प्रेम इमरत बेवा प्रेम अबला पिता हिकमत सा0देह अनित अनरूपा पि. प्रेम	539	4.917	2.073
		540	0.263	0.024
20	रामकिशन व. माखन रघुवंशी सा0देह	530/2	0.570	0.570
		535	0.902	0.902
21	देविकी रंजू मंचू मुन्नी पि. रघुवीर दिपवती बे. रघुवीर सा0देह	536	0.417	0.417
22	मुन्ना व. लखन रघुवंशी सा0देह.	542/1	0.297	0.023
23	प्रेम व. छोटे सा0देह.	163	0.364	0.364
		173	0.611	0.389
24	नानहु व. जियालाल पखुडिया मुननी जुस्सी पिता जियालाल उन्नो बेवा बिकट प्रभु छोटे प्रहलाद व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकटलाल सा0देह	164/1	0.128	0.128

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
25	महादेव व. लखन रघुवंशी सा.देह	542/2	0.298	0.022
		530/1	0.571	0.571
26	फुलवन्ती जौ. इन्द्रे सिंह रघुवंशी सा.देह	156/3 -	0.142	0.142
		156/4 -	0.142	0.142
27	अबला पिता हिकमत सा.देह	522 -	0.636	0.024
		527 -	0.607	0.024
	महायोग	43	27.091	17.096

1- चूंकि छिंदी जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।




मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(शशांक मिश्र) 20/10

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम छिंदी ग्राम पंचायत छिंदी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग